



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 20.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना रेंडर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1- श्यामू वरार पुत्र स्व० किशोरी निवासी उरगांव कोत० जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध थाना रेंडर पर मु०अ०सं० 81/19 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना रेंडर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त श्यामू वरार उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह
ADGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



का० नीलेश
कोर्ट पैरोकार



हे०का० सतेन्द्र सिंह
कोर्ट मुहरिर

jalaunpolice

